

शेयर विभाग
प्रधान कार्यालय: प्लॉट सं. 4, सेक्टर -10, द्वारका,
नई दिल्ली -110075, ईमेल: hosd@pnb.bank.in

सूचना

पंजाब नैशनल बैंक के इक्विटी शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करने की सूचना

पंजाब नैशनल बैंक ('बैंक') के शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 124 के साथ पठित बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के प्रावधानों के दिनांक 1 अगस्त 2025 संशोधनों तथा संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ('आईईपीएफ') (लेखांकन, अंकेक्षण, अंतरण एवं रिफंड) नियमावली, 2016 ('नियमावली') की एतद्वारा सूचना दी जाती है, जिसके अंतर्गत भौतिक और अमौलिक रूप में रखे गए सभी शेयरों, जिनका निरंतर 7 वर्षों या उससे अधिक समय तक लामांश(शो) का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें आईईपीएफ में अंतरित किया जाना अपेक्षित है, जब तक कि न्यायालय या न्यायाधिकरण या सांविधिक प्राधिकरण का कोई विशिष्ट आदेश न हो जो ऐसे शेयरों के किसी भी अंतरण और लामांश के भुगतान पर रोक लगाता हो या जहाँ ऐसे शेयर, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत गिरवी या दृष्टिबंधक रखे गए हों। नियमावली के साथ पठित, अधिनियम के अनुपालन में, बैंक संबंधित शेयरधारक(कों) को, जिनके लामांश का निरंतर 7 वर्षों या उससे अधिक समय से भुगतान/ दावा नहीं किया गया हो और जिनके शेयर नियत तिथि अर्थात् शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को आईईपीएफ में अंतरित किए जाने हैं, को उनके पंजीकृत पते पर भौतिक मॉड/ ई-मेल दिनांक 13.11.2025 के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना प्रेषित कर रहा है। आईईपीएफ में अंतरित किए गए कुल अदत्त/ अदावाकृत लामांश और बैंक के पास पड़े अदत्त लामांश की राशि के संबंध में भी उपर्युक्त पत्र दिनांक 13.11.2025 के माध्यम से सूचित किया गया है। बैंक के पास पड़े अदत्त लामांश और आईईपीएफ में अंतरित किए जाने वाले शेयरों का विवरण बैंक की वेबसाइट <https://pnb.bank.in/dividends.html> पर उपलब्ध है। अतः संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, आईईपीएफ में अंतरित किए जाने वाले अपने शेयरों के विवरण को सत्यापित करें।

- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नोट करें कि निरंतर 7 वर्षों या उससे अधिक समय तक किसी भी अदावाकृत लामांश का दावा शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 तक करें, अन्यथा, शेयरों को बिना किसी और सूचना के, नियमों के अनुसार, आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाएगा।

- डीमैट रूप में धारित शेयरों हेतु: बैंक कॉर्पोरेट कार्रवाई को निष्पादित करने के लिए डिपॉजिटरी को सूचित करेगा और शेयरधारक(कों) के डीमैट खाते में पड़े शेयरों को डेबिट करेगा एवं ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में अंतरित करेगा।

भौतिक रूप में धारित शेयरों हेतु: मूल शेयर प्रमाण-पत्र(त्रों) के स्थान पर नए शेयर प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे तथा आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण होने पर आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में अंतरित कर दिए जाएंगे। शेयरधारक(कों) के नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाण-पत्र रद्द और गैर-प्रक्राम्य माने जाएंगे।

ऐसे अंतरण से बचने के लिए, शेयरधारक बैंक/ रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड ('आरटीए') को निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ लिखकर नियत तिथि से पूर्व दावा कर सकते हैं:

- डीमैट रूप में धारित शेयरों हेतु: ग्राहक मास्टर सूची की प्रति (बैंक खाते के विवरण के साथ अद्यतित)। अदत्त/ अदावाकृत लामांश का भुगतान डीमैट खाते के साथ पंजीकृत बैंक खाते में किया जाएगा।

- भौतिक रूप में धारित शेयरों हेतु: शेयरधारकों को निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म ISR-1, फॉर्म ISR-2 और फॉर्म संख्या SH-13 (नामांकन फॉर्म) या फॉर्म ISR-3 (नामांकन से बाहर निकलने) को दिए गए निर्देशों के अनुसार विधिवत भरकर, खाताधारक के नाम वाला रद्द किए हुए मूल चेक सहित सहायक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। ये फॉर्म बैंक की वेबसाइट <https://pnb.bank.in/Important-Announcement-to-Physical-Shareholders.html> पर उपलब्ध हैं।

संबंधित शेयरधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी भावी लाभ भी केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में जारी/ अंतरित किए जाएंगे तथा इस प्रकार अंतरित इक्विटी शेयरों के संबंध में बैंक के विरुद्ध कोई देयता मान्य नहीं होगी।

इसके अलावा, सेबी के मास्टर परिपत्र SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 दिनांक 7 मई, 2024 के अनुसार, भौतिक रूप में रखे गए शेयरों पर बकाया लामांश भुगतान सीधे बैंक खाते में तभी जमा किया जाएगा जब फोलियो केवाईसी अनुपालित हो। फोलियो को सभी विवरण पंजीकृत करने पर केवाईसी अनुपालक माना जाएगा, यथा, पिन कोड सहित पूरा पता, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, फोलियो में सभी धारकों के आधार से जुड़े वैध पैन, नामांकन आदि।

अदावाकृत लामांश राशि(यों) और आईईपीएफ में अंतरित इक्विटी शेयरों का दावा करने की प्रक्रिया

शेयरधारक कृपया नोट करें कि अदावाकृत लामांश की राशि(यों) तथा आईईपीएफ में अंतरित इक्विटी शेयर, जिनमें शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभ, यदि कोई हों, शामिल हैं, दोनों का दावा बैंक/ आरटीए को आवश्यक दस्तावेजों की एक भौतिक प्रति जमा करके किया जा सकता है ताकि एक पात्रता पत्र (ईएल) प्राप्त किया जा सके। बैंक/ आरटीए द्वारा ईएल जारी करने के बाद, शेयरधारक को ईएल के साथ वेबसाइट www.mca.gov.in पर वेब-आधारित फॉर्म IEPF-5 ऑनलाइन दर्ज होगा और उसकी एक भौतिक प्रति बैंक को भेजनी होगी। यदि आपका कोई प्रश्न है या इस संबंध में किसी सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया निम्न पर संपर्क करें:

बैंक	आरटीए
पंजाब नैशनल बैंक शेयर विभाग, बोर्ड एवं समन्वय प्रमाण प्रधान कार्यालय, प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 ई-मेल: hosd@pnb.bank.in	मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा) लिमिटेड बीटल हाउस, तृतीय तल, 99, मदनगिर , लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास, नई दिल्ली-110062 फोन: 011-42959000-09, 29961281-83 ई-मेल- beetalrta@gmail.com , वेबसाइट- www.beetalfinancial.com

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 14.11.2025

कृते पंजाब नैशनल बैंक
हस्ता/-
(बिक्रमजित सोम)
कंपनी सचिव

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ
...संकेत के अंतर्गत।



punjab national bank
...the name you can BANK upon!

SHARES DEPARTMENT

HEAD OFFICE: PLOT NO. 4, SECTOR -10, DWARKA,
NEW DELHI-110075, Email : hosd@pnb.bank.in

NOTICE

Notice of Transfer of Equity Shares of Punjab National Bank to Investor Education & Protection Fund (IEPF)

Notice is hereby given to shareholders of the Punjab National Bank ("Bank") of the amendments dated 1st August 2025 to the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition And Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Section 124 of the Companies Act, 2013 ('the Act'), and the amended Investor Education and Protection Fund Authority ('IEPF') (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ('the Rules'), **requiring all shares, held in physical and dematerialized form, in respect of which dividend(s) has not been paid or claimed for 7 consecutive years or more shall be transferred to the IEPF** unless there is a specific order of Court or Tribunal or Statutory Authority restraining any transfer of such shares and payment of dividend or where such shares are pledged or hypothecated under the provisions of the Depositories Act, 1996.

In compliance to the Act, read with the Rules, the Bank is sending individual communication in physical mode/email dated 13.11.2025 to the concerned shareholder(s) at their registered address whose dividend are lying unpaid/unclaimed for 7 consecutive years or more and whose shares are liable to be transferred to IEPF as on the **due date i.e. Friday, February 13, 2026**. The amount of total unpaid/unclaimed dividend which has been transferred to IEPF and unclaimed dividend which is lying with the Bank has also been informed vide abovementioned letter dated 13.11.2025. The details of unpaid Dividend lying with Bank and shares due for transfer to IEPF are available on the Bank's website at <https://pnb.bank.in/dividends.html>. The concerned shareholders are therefore requested to verify the details of their shares liable to be transferred to IEPF, in terms of above-mentioned provisions.

Shareholders are requested to note that any unclaimed dividend for **7 consecutive years or more** must be claimed by **Friday, February 13, 2026**, failing which, the shares will be transferred to the IEPF without any further notice, in accordance with the Rules, as under.

- **For shares held in dematerialised form:** The Bank shall inform the Depositories to execute the corporate action and debit the shares lying in the demat account of the shareholder(s) and transfer such shares in favour of the IEPF Authority.
- **For shares held in physical form:** New share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) will be issued and transferred in favour of the IEPF Authority on completion of necessary formalities. The original share certificate(s) which stand registered in the name of the shareholder(s) will be deemed cancelled and non-negotiable.

To avoid such transfer, shareholders can claim the same before the due date by writing to the Bank/Registrar and Transfer Agent M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. ('RTA') along with following Requisite documents:

- **For shares held in dematerialised form:** Copy of the client master list (updated with Bank account details). Payment of unpaid/ unclaimed dividend will be made to the Bank Account registered with the demat account.
- **For shares held in physical form:** Shareholders to submit Investor Service Request Form ISR- 1, Form ISR-2 and Form No. SH-13 (Nomination Form) or Form ISR-3 (Opt-out of Nomination) duly filled as per the instructions stated therein along with the supporting documents including original cancelled cheque stating the name of the Account holder. These Forms can be accessed on the Bank's website at <https://pnb.bank.in/Important-Announcement-to-Physical-Shareholders.html>.

The concerned shareholders are further informed that all future benefits arising on such shares would also be issued/transferred in favor of IEPF Authority established by the Central Government and no liability shall be tenable against the Bank in respect of the equity shares so transferred.

Further, Pursuant to SEBI Master circular SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 7, 2024, outstanding dividend payments for shares held in physical form will be credited directly to the bank account only if the folio is KYC Compliant. A folio will be considered as KYC compliant on registration of all details viz. full address with pin code, mobile no., bank details, valid PAN linked to Aadhaar of all holders in the folio, nomination, etc.

Process to claim unclaimed dividend amount(s) and the equity shares transferred to the IEPF

The Shareholder(s) may note that both the unclaimed dividend amount(s) and the equity shares transferred to the IEPF including all benefits accruing on shares, if any, can be claimed by submitting the physical copy of the required documents to the Bank/RTA for obtaining an Entitlement Letter ('EL'). After the Bank/RTA issues EL, thereafter shareholder is required to file web-based Form IEPF-5 online on the website www.mca.gov.in along with the EL and send the physical copy of the same to the Bank. In case you have any queries or need any assistance in this regard please contact:

Bank	RTA
Punjab National Bank Share Department, Board & coordination Division Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110 075 Email: hosd@pnb.bank.in	M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Hansukhdas Mandir, New Delhi- 110062. Ph 011-42959000-09, 29961281-83. Email: beetalrta@gmail.com , Website: www.beetalfinancial.com

Place: New Delhi
Date: 14.11.2025

For Punjab National Bank
Sd/-
(Bikramjit Shom)
Company Secretary